

सं.यू-16011/1/2020-ओएंडएम

भारत सरकार

उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

उपभोक्ता मामले विभाग

\*\*\*\*\*

कृषि भवन, नई दिल्ली

दिनांक - 22 सितम्बर, 2021


आदेश

सूचना का अधिकार अधिनियम (2005) की धारा 5(1), 5(2) और 19(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार उपभोक्ता मामले विभाग के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नामों के सम्मुख उल्लिखित विशिष्ट अनुभागों/डिस्कॉ के संबंध में केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) और प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (एफएए) नामोद्दिष्ट किया गया है।

नामोद्दिष्ट केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) और अपीलीय प्राधिकारी

| क्रम   | सीपीआईओ                              | प्रभाग/डेस्क/<br>यूनिट/अनुभाग                       | प्रथम अपील प्राधिकारी             |
|--------|--------------------------------------|---|-----------------------------------|
| संख्या | नाम/ पदनाम                           |   | नाम/पदनाम                         |
| 1.     | श्री ए एस रावत, अवर सचिव             | सीडब्ल्यूएफ   | श्री सुभाष चन्द्र मीना, निदेशक    |
| 2.     | श्रीमती जयलक्ष्मी कन्नन,<br>अवर सचिव | सतर्कता   | श्री. ओलोक कुमार वर्मा,<br>निदेशक |
| 3.     | सुश्री जयश्री नारायणन,<br>अवर सचिव   | सीपीयू  | श्री सीता राम मीना, निदेशक        |
| 4.     | श्री पी के त्यागी,<br>अवर सचिव       | केंद्रीय उपभोक्ता<br>संरक्षण प्राधिकरण<br>(सीसीपीए) |                                   |

किसी सीपीआईओ के तीन दिन से अधिक अवधि के लिए छुट्टी पर रहने या पद रिक्त होने पर उसका आसन्न उच्च अधिकारी इस प्रकार की अनुपस्थिति के दौरान सीपीआईओ के कार्यभार का निष्पादन करेगा तथा तदुसार ऐसे मामलों में अपील अगले उच्च प्राधिकारी को अलग-अलग स्वतः चली जाएगी। प्रथम अपीलीय अधिकारी के एक सप्ताह या इससे अधिक समय तक अनुपस्थित रहने के मामले में, उस अवधि दौरान के दौरान नियमित पदधारी के कार्य को देखने वाला लिंक अधिकारी, अपीलीय प्राधिकारी के रूप में काम करेगा।



(डी.के. सोनकर)

उप सचिव, भारत सरकार

दूरभाष - 23386210

उपरोक्त सूची के अनुसार सभी सीपीआईओ और अपीलीय प्राधिकारी